



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 775]	नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 29, 2018/कार्तिक 7, 1940
No. 775]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 2018/KARTIKA 7, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2018

सा.का.नि. 1072(अ).—केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 21 की उप-धारा (4) और धारा 21 ख की उप-धारा (2) और उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 29क की उप-धारा(2) के खंड (ग) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) द्वितीय संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 में—

(i) नियम 14 में, —

(क) उप-नियम (6) में, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् जिसे संख्यांकित किया गया है, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"स्पष्टीकरण 2—इस नियम के प्रयोजन के लिए, उपसंज्ञाति के अंतर्गत वीडियो-कान्फेरेंस, कार्य-रीति के माध्यम से उपसंज्ञाति भी सम्मिलित है, जिसे समय-समय पर संस्थान द्वारा निश्चित की जाए।";

(ख) उप-नियम 7 में, "व्यक्तिगत रूप से" शब्दों के पश्चात् "या इन नियमों के अधीन तैयार की गई कार्य-रीतियों के निबंधनानुसार वीडियो कान्फैसिंग के माध्यम से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

नियम 18 के अधिनियम (6) में, स्पष्टीकरण को इसके स्पर्धित भाग 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण 2— इस नियम के प्रयोजन के लिए, उपसंज्ञाति के अंतर्गत वीडियो-कान्फरेंस के माध्यम से उपसंज्ञाति भी है, ऐसी कार्यरतियां जो समय-समय पर संस्थान द्वारा निश्चित की जाए।"

[फा. सं. 1/12/2007-आईजीसी/पीआई]

अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण - यह नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 112(अ) तारीख 27 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित किए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 226(अ), तारीख 22 मार्च, 2011, सा.का.नि.141(अ), तारीख 4 मार्च, 2014 और सा.का.नि. 348(अ), तारीख 9 अप्रैल, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2018

G.S.R. 1072(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 29A read with sub-section (4) of section 21 and sub-sections (2) and (4) of section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, namely:—

1. These rules may be called the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Second Amendment Rules, 2018.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. The Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, —
 - (i) in rule 14,—
 - (a) in sub-rule (6), the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation 2- For the purpose of this rule, the appearance also includes the appearance through video-conference, modalities for which may be as formulated by the Institute from time to time."
 - (b) in sub-rule (7) after the words "either in person" the words "or through video conference in terms of the modalities formulated under these Rules" shall be inserted;
 - (ii) in rule 18, in sub-rule (6), the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation 2- For the purpose of this rule, the appearance also includes the appearances through video-conference, modalities for which may be as formulated by the Institute from time to time".

[F. No. 1/12/2007-IGC/PI]

ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 112(E), dated the 27th February, 2007 and lastly amended vide notification numbers G.S.R. 226(E), dated the 22nd March, 2011, G.S.R. 141(E), dated the 4th March, 2014 and G.S.R. 348(E), dated 9th April, 2018.